

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखाओं सहित) 2016-17

Annual Report (Including Annual Accounts)

(Including Annual Accounts) **2016-17**





Agrinnovate India Limited

(A Government of India Enterprise)



एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन (वार्षिक लेखाओं सहित)

2016-17

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडलः



डॉ. त्रिलोचन महापात्र



श्री अशोक दलवाई

मुख्य कार्यकारी अधिकारी: श्री रविन्द्रजीत सिंह बावेजा

मुख्य वित्त अधिकारी: श्री आवेश यादव

कंपनी सचिवः सी एस निधि गोधा

बैंकर:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उद्योग भवन, नई दिल्ली

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स वीएसडी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, डीडी - 34, बेसमेंट, कालकाजी, नई दिल्ली - 110 019

पंजीकृत कार्यालयः

जी-2, ए- ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012 दूरभाष : 011-25842122, 25842124



श्री छबिलेन्द्र राउल



डॉ. सुरेश एस. होन्नाप्पागोल



श्री सुनिल कुमार सिंह



डॉ. संजीव सक्सेना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड, जी-2, ए ब्लाक, एनएएससी कॉम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली- 110012 द्वारा प्रकाशित। मै. रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110028 द्वारा लेजरटाईप सेट एंव मुद्रित।

विषय सूची	
विवरण पृष्ठ	. संख्या
वार्षिक आम बैठक की सूचना	1-5
अध्यक्ष की रिपोर्ट	6-8
निदेशक की रिपोर्ट	9-25
वित्तीय स्थिति विवरण (बैलेंस शीट) एवं लाभ व हानि का विवरण	26-40
सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	41-53
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी	54



एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड (AgIn)

जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली 110 012 सीआईएन: यू01400डीएल2011जीओआई226486, ई-मेल: agrinnovateindia@gmail.com फोन: 011-25842122, 011-25842124

छठी वार्षिक आम बैठक में भाग लेने हेतु सूचना

यह सूचित किया जाता है कि एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की पांचवी वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 23 नवम्बर, 2017, दिन वीरवार को प्रातः 11.30 बजे कमरा नं. 104, महानिदेशक, भाकृअनुप के समिति कक्ष, कृषि भवन, नई दिल्ली–110 001 में किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी :

सामान्य कार्य

- दिनांक 31 मार्च, 2017 को अंकेक्षित (ऑडीटिड) बैलेंस शीट तथा दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि के विवरण एवं उस पर निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा स्वीकार करना।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों (ऑडीटर्स) के लिए पारिश्रमिक (Remuneration) निर्धारित करना

विशेष कार्यः

स्थान दिनांक

 सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त हो तो उसे बिना संशोधन अथवा संशोधन के साथ पारित करना

''**यह संकल्प किया जाता है कि** एतद्दवारा कम्पनी निदेशक पद से श्री एस.के.सिंह का त्यागपत्र स्वीकार करती है और श्री एस.के. सिंह द्वारा किए गए योगदान की सराहना करती है।''

''**पुनः यह संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी के कैबिनेट नोट में वर्णित प्रावधाानों के अनुसार श्री एस.एन. त्रिपाठी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, डेयर को एतद्दवारा कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

''पुनः यह संकल्प किया जाता है कि श्री रविन्द्रजीत सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिाकारी (CEO) अथवा श्रीमती निधि गोधा, कम्पनी की कम्पनी सचिव को एतद्दवारा कम्पनी की ओर से इस मामले में जरूरी अनुपालन करने और आवश्यकतानुसार अन्य सभी जरूरी कार्य करने हेतु अधिाकृत किया जाता है।''

	निदशक मंडल के आदेशानुसार
: नई दिल्ली	ह0/-
5 : 31.10.2017	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

1



नोटः

- बैठक में भाग लेने वाले व मताधिकार का उपयोग करने वाले सदस्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बैठक में भाग लेने तथा अपना मत देने के लिए स्वयं के स्थाान पर एक प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं और उस प्रॉक्सी का कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।
- वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से अड़तालीस घंटे (48 घंटे) पहले कम्पनी के कॉरपोरेट कार्यालय में प्रॉक्सी फार्म विधिवत रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार विशेष कार्य की प्रत्येक मद से संबंधित तात्विक तथ्य प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।
- 4. इस बैठक के कार्य की किसी भी मद पर कोई सूचना चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्नों को कम्पनी सचिव को संबोधित करते हुए वार्षिक आम बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजें ताकि बैठक के समय आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
- 5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अनुसार निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का रजिस्टर, उनकी बनाए रखी गई अंशधारिता और नोटिस में संदर्भित सभी अन्य दस्तावेज कम्पनी के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार व रविवार को छोड़कर) प्रात: 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे के बीच सभी सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। कम्पनी की वार्षिक आम बैठक (AGM) के समय, बैठक स्थल पर भी ये दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे।



नोटिस का अनुबंध

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित स्पष्टीकारक विवरण में संलग्न नोटिस की मद संख्या 3 में वर्णित व्यवसाय से संबंधित तात्विक तथ्य निर्धारित किए जाते हैं :

मद सं. एजीएम 6/2: यद्यपि अधिनियम की धारा 102 के अनुसार अपेक्षित नहीं है, फिर भी यह स्पष्टीकरण दिया जाता है :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कम्पनी के ऑडीटर्स (लेखा परीक्षकों) को नियुक्त/पुन: नियुक्त किया जाए और उनका पारिश्रमिक कम्पनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसी रीति से तय किया जाएगा जो कम्पनी आम बैठक में निर्धारित करे। इसके अनुसरण में, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स वी.डी. एस. एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली (पंजीकरण संख्या डीई 1792) को रूपये 49,956/-एवं अपनी जेब से किए गए खर्च सहित पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था ।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक को नामित करने की प्रतीक्षा है। यह प्रस्ताव है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के नामांकन के अनुसार निदेशक मण्डल को सांविधिक लेखा परीक्षक को नियुक्त करने और पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाए।

निदेशक मण्डल से निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और उसे पारित करने का अनुरोध किया जाता है:

"**यह संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसरण में, निदेशक मण्डल को एतद्द्वारा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

"**पुनः संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मण्डल को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के समुचित पारिश्रमिक (सेवा कर की पूतिपूर्ति, जेब से किए गए खर्च सहित) को जैसा कि निदेशक मण्डल के बीच आपसी सहमति हो, निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है

मद संख्या एजीएम 6/3

श्री एस.के. सिंह, तत्कालीन अपर सचिव, डेयर एवं वित्तीय सलाहकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थानान्तरण होने के परिणामस्वरूप, श्री एस.के. सिंह ने कम्पनी के निदेशक पद से अपना त्यागपत्र दे दिया है। अत: यह प्रस्ताव किया जाता है कि श्री एस.के. सिंह का त्यागपत्र स्वीकार किया जाए।

कम्पनी के कैबिनेट नोट में यह प्रावधान है कि अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, डेयर कम्पनी के निदेशक मण्डल में शामिल होंगे।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड



श्री एस.एन. त्रिपाठी को अपर सचिव, डेयर एवं वित्तीय सलाहकार, भारतीय कृषि अनुसंधाान परिषद नियुक्त किया गया है।

श्री एस.एन. त्रिपाठी सन् 1985 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने वर्ष 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर डिग्री की शिक्षा प्राप्त की। अपर सचिव, डेयर एवं वित्तीय सलाहकार, भाकृअनुप के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री एस.एन. त्रिपाठी अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम), संयुक्त सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास ओडि्शा), आयुक्त एवं सचिव, पंचायती राज ओडि्शा के पद पर रहे चुके हैं।

अतः अपर सचिव, डेयर एवं वित्तीय सलाहकार, भाकृअनुप होने के नाते यह प्रस्ताव किया जाता है कि श्री एस.एन. त्रिपाठी को कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाए।

हित का ज्ञापनः नियुक्त व्यक्ति होने के कारण श्री एस.एन. त्रिपाठी को छोड़कर, कम्पनी के अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक या उनके सम्बन्धी इस संकल्प में वित्तीय रूप से अथवा अन्य कारणों से जुड़े हुए नहीं है अथवा उनका कोई हित नहीं है।





एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड (AgIn)

जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली	110 012
सीआईएन: यू01400डीएल2011जीओआई226486, ई-मेल: agrinnovateindia	a@gmail.com
फोन: 011-25842122, 011-25842124	

प्रॉक्सी	फार्म

पंजीकृत फोलियो सं0				
धारित शेयरों की संख्या				
मैं/हम				निवासी
		जो वि	5 उपरोक्त कंपनी के र	सदस्य हूं/हैं,
एतद द्वारा श्री	सुपुत्र	िनिवासी	को	या उनको
अनुपस्थिति में श्री	सुपुत्र	निवासी	को या उनकी अन्	गुपस्थिति में
श्री		को ं	देनांक 15 नवम्बर,	2017, दिन
वीरवार को प्रात: 11.30 ब	जे अथवा किसी अन्य स्थ	गन पर अपनी/हमारी	ओर से मताधिकार क	रने के लिए
अपने/हमारे प्रॉक्सी के रूप	में नियुक्त करता हूं/करते	हैं।		
हस्ताक्षरित				

द्वारा हस्ताक्षरित _____ Affix द्वारा हस्ताक्षरित _____ Stamp

नोट: प्रॉक्सी को प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी फार्म पर विधिवत मुहर लगी हो, वह पूरा भरा हुआ हो और उस पर हस्ताक्षर किए गए हों तथा साथ ही उसे उक्त बैठक आयोजित होने से कम से कम अड़तालिस घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अवश्य जमा किया जाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी, कम्पनी का सदस्य ही हो।



अध्यक्ष की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

मुझे, दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने और हमारी कम्पनी एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) की पांचवीं वार्षिक आम बैठक में आप सबका अभिनंदन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पहले ही परिचालित किया जा चुका है और आप सबकी सहमति से मैं इसे इस प्रकार पढ़ता हूं।

समाधान के बारे में अनेक वर्षों तक वार्ता करने के उपरान्त अब हम अपने शब्दों को साकार करते हुए कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं।

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया गया है और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ विलय करने की प्रक्रिया में हैं। अब, हम भागीदारी के माघ्यम से इनोवेशन और क्षमता चालित कृषि विकास को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाना प्रारंभ करेंगे।

विभिन्न हितधारकों तक अपनी सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में व्यवसाय विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक पहल की गई हैं। इनमें विभिन्न कार्यशालाओं में भागीदारी करना भी शामिल है जैसे कि सीआईआई, चण्डीगढ़ में बिक्री, विपणन तथा व्यवसाय विकास तथा अन्य कॉरपोरेट कार्यों एवं विभागों के साथ इनके समेकन पर कार्यशाला, आईएचसी, नई दिल्ली में खाद्यान्न भण्डारण – उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में कृषि मैकेनाइजेशन में इनोवेशन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली में प्रभावी टीम सीआईआई, मुम्बई उद्यमी इंडिया 2016 पर कार्यशाला, नई दिल्ली में एनएसएफआई ग्लोबल कनेक्ट 2016 – कृषि में प्रौद्योगिकियां एवं इनोवेशन्स : पुशिंग दि फण्टियर(इक्रीसेट, हैदराबाद में एशियन साइन्स पार्क एसोसिएशन (ASPA) का 20वां वार्षिक सम्मेलन, सीआईआई एग्रोटेक 2016, आईआईसीए द्वारा खेती की उत्पादकता को बढ़ाने पर गोलमेज वार्ता, आईआईसीए, टीडीबी तथा टीआईएफएसी आदि द्वारा आयोजित कृषि इनोवेटर्स एवं उद्यमियों के लिए अपस्केलिंग कार्यशाला हेतु तकनीकी – व्यावसायिक परियोजनाओं की पहचान पर कार्यशाला आदि।

कम्पनी द्वारा विभिन्न मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ सहयोग की पहल भी की गई है जिनमें शामिल हैं : प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशिया-पैसीफिक सेन्टर (APCTT), MANAGE, TRVP-TANUVAS, IICA, ABIC, नेपाल तथा अफ्रीकन-एशियन ग्रामीण विकास संगठन (AARDO)

कम्पनी की प्रोत्साहन गतिविधियां :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकियों को पहुंच को विश्व स्तर पर बढ़ाने के अपने विजन के साथ, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा भारत में स्थित विभिन्न उच्चायुक्त/दूतावास में अपने उत्पादों व सेवाओं को बढ़ावा दिया जिसमें शामिल हैं: बोत्सवाना गणतंत्र का उच्चायुक्त, बुरूण्डी का दूतावास, बांग्लादेश का उच्चायुक्त, इटली दूतावास, मालद्वीव गणतंत्र का दूतावास, मॉरीशस का उच्चायुक्त कार्यालय आदि। इस दिशा में, कम्पनी द्वारा सहयोग अवसरों को तलाशने के प्रयोजन से भारत में न्यूजीलैण्ड दूतावास के अधिकारियों का दौरा भी कराया गया। कम्पनी द्वारा अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतावास और उच्चायुक्त कार्यालयों तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उत्पादों व सेवाओं को प्रोन्नत किया गया। वार्षिक रिपोर्ट 2016–17



पुनः कम्पनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों एवं अन्य परियोजनाओं का आयोजन करने के लिए एशियन (ASEAN) सचिवालय के साथ सहयोग को मजबूती प्रदान की गई है।

''एल्यूरिटिक अम्ल प्रौद्योगिकी की तकनीकी जानकारी'' पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – आईआईएनआरजी द्वारा दिनांक 13 – 14 जुलाई, 2016 को एनिंग डेको फाइन केमीकल कम्पनी, लि., कुमिंग, चीन के दो प्रतिनिधियों के लिए ''एल्यूरिटिक अम्ल प्रौद्योगिकी की तकनीकी जानकारी'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कम्पनी का संगठनात्मक ढांचा : कम्पनी का निदेशक मण्डल यह सूचित करते हुए प्रसन्न है कि कम्पनी के संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। पुन: मानदेय सहित कार्य विवरण, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, नियुक्ति नियमावली एवं सेवा शर्तों पर विचार करके नामांकन एवं मानदेय समिति द्वारा उनकी सिफारिश बोर्ड को की जाएगी। बोर्ड द्वारा पुन: यह निर्णय किया गया कि जब बोर्ड के अनुमोदन से कम्पनी द्वारा अपनी व्यवसाय गतिविधियों को बढाया जाए, तब नियुक्ति को चरणबद्व रीति में किया जाएगा।

नीति पहलः

अपनी व्यवसाय गतिविधियों में स्पष्टता, पारदर्शिता और एकरूपता लाने की दिशा में, बोर्ड द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के लिए व्यावसायीकृत गतिविधियों को चलाने के लिए कम्पनी हेतु व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया है।

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों में शामिल है :

- 1. बौद्विक सम्पदा संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश
- 2. प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशानिर्देश
- 3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशानिर्देश
- 4. परामर्शी सेवा और अनुसंधाान परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश
- 5. बाहय एजेन्सी/परामर्श को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन :

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों के अनुसार, तकनीकी–व्यावसायिक आकलन एवं विशेषज्ञ समितियां गठित की गई हैं ताकि तकनीकी–व्यावसायिक आकलन किया जा सके और सभी भाकृअनुप संस्थानों की क्षमताशील प्रौद्योगिकियों के लिए मानक शर्ते तैयार की जा सकें।

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों के अनुरूपण में, एग्रीनोवेट इंडिया लि. (AgIn) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों यथा भाकृअनुप – केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, (ICAR - CTCRI), केरल, भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, भाकृअनुप – केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान (ICAR - CIBA), चेन्नई, भाकृअनुप – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIHR), बंगलुरू, भाकृअनुप – केन्द्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - CCARI), गोवा, भाकृअनुप - भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIRR), हैदराबाद तथा भाकृअनुप – भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIMR), हैदराबाद आदि की चुनिन्दा प्रौद्योगिकियों के लिए तकनीकी – व्यावसायिक एवं विशेषज्ञ समिति गठित की गई और उनकी बैठकें आयोजित की गई।



इस अवसर पर, कम्पनी बोर्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों का कम्पनी को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहेगा।

कम्पनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2015–16 में रूपये 1,67,10,043/– की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में अपने कार्यों अथवा प्रचालनों से रूपये 13,44,222/– का राजस्व अर्जित किया गया । पिछले वित्तीय वर्ष 2015–16 में रूपये 28,00,119/– के मुकाबले वर्तमान वित्तीय वर्ष में रूपये 18,86,178/– का अवमूल्यन दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रूपये 2,46,70,104/– के शुद्ध लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में रूपये 2,10,52,092/– का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया।

कम्पनी को लगभग 60 करोड़ रूपये के सरप्लस फंड (वर्तमान सावधि जमा की परिपक्वता पर प्राप्त कर उपरांत राशि एवं फलेक्सी जमा में प्राप्त राशि का निवेश करना था। इस राशि का निवेश करने के लिए श्री सुनिल कुमार सिंह, निदेशक (एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) की अधयक्षता में एक समिति गठित की गई। कुल तीन (56 करोड़ रूपये की एक तथा एक-एक करोड़ की दो) सावधि जमा के तहत 58 करोड़ रूपये का निवेश करने के लिए अपनी बोली प्रस्तुत करने हेतु छब्बीस राष्ट्रीयकृत बैंकों को आमंत्रित किया गया। निवेश के लिए प्राप्त हुई नौ वैध बोलियों पर विचार किया गया। एक वर्ष के लिए 7.35 प्रतिशत वार्षिक की उच्चतम ब्याज दर का प्रस्ताव स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एंड जयपुर, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा दिया गया। अत: समिति ने यह निर्णय किया कि 58 करोड़ रूपये की राशि का निवेश उक्त बैंक में किया जाए।

व्यवसाय आउटलुक

पिछला अनुभव यह दर्शाता है कि किसी भी निश्चित डिग्री का पूर्वानुमान लगाने में हमारा कार्यभार अथवा वर्कलोड स्वाभाविक रूप से मुश्किल होता है। हमारे पास भेजे गए प्रस्तावों की मात्रा और किस्म के संबंध में हमारी सेवा के लिए मांग के स्तरों को अनेक बाहय कारक प्रभावित करते हैं।

इसलिए, भविष्य के लिए योजना का निरूपण करते समय, हमें वाष्पशीलता अथवा परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता को स्वीकार करने की जरूरत होती है जो कि एक स्थायी कारक बना रहता है और इसे हमें अपनी ऑपरेशनल तथा वित्तीय योजना में शामिल करने की जरूरत होती है। इसके बावजूद, हम सर्वश्रेष्ठ संभावित रीति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि कम्पनी की सेवाएं परिवर्तनशील विश्व में अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में नया विकास व सुधाार करने में, सेवाओं के उत्कृष्ट मानदण्डों को प्रस्तुत करने में सतत बनी रहेंगी। आभार

मैं, इस अवसर पर बोर्ड के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए मूल्यवान सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल, कम्पनी के संविधिक एवं आन्तरिक लेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों और कम्पनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

धन्यवाद,

आपका*,* ह0/-(त्रिलोचन महापात्र) अध्यक्ष*,* एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड्



वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड,

आपकी कम्पनी के निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण के साथ कम्पनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलोन एवं समेकित)

क्रम सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1.	ऑपरेशन से राजस्व	13,44,222	1, 67, 10,043
2.	अन्य आय	4,55,58,708	5,01,99,730
3.	कुल व्यय	1,47,05,810	3,00,51,939
4	समग्र लाभ	3,21,97,120	3,68,57,834
5.	कर के लिए प्रावधाान	1,11,45,028	1,21,87,729
6.	कर उपरांत शुद्ध लाभ	2,10,52,092	2, 46, 70,104

रिपोर्टाधीन अवधि वाले वर्ष में, आपकी कम्पनी का प्रदर्शन इस प्रकार रहा :

दिनांक 31.03.2017 को कम्पनी की बैलेंस शीट और दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ व हानि लेखा को तैयार कर लिया गया है जो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

प्रचालनों का सारांश

कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2015-16 में जहां कुल 1,67,10,043 रूपये का राजस्व हासिल किया गया था वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ज़ में कम्पनी ने अपने कार्यों से 13,44,222/- रूपये का राजस्व हासिल किया गया है। पूर्ववर्ती वर्ष 2015-16 के लिए रूपये 28,00,119/- के मुकाबले वर्तमान वर्ष में रूपये 18,86,178/- का अवमूल्यन दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कम्पनी द्वारा जहां 2,46,70,104/- रूपये का शुद्ध लाभ कमाया गया वहीं वित्तीय वर्ष 2016-17 में शुद्ध लाभ 2,10,52,092/- रूपये का था।

कम्पनी मामलों की स्थिति

रिपोर्टाधीन वर्ष में, कम्पनी द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्य किया गया :

व्यवसाय विकास गतिविधियां

विभिन्न हितधारकों तक अपनी सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में व्यवसाय विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक पहल की गई हैं। इनमें विभिन्न कार्यशालाओं में



भागीदारी करना भी शामिल है जैसे कि सीआईआई, चण्डीगढ़ में बिक्री, विपणन तथा व्यवसाय विकास तथा अन्य कॉरपोरेट कार्यो एवं विभागों के साथ इनके समेकन पर कार्यशाला, आईएचसी, नई दिल्ली में खाद्यान्न भण्डारण – उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में कृषि मैकेनाइजेशन में इनोवेशन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली में प्रभावी टीम सीआईआई, मुम्बई उद्यमी इंडिया 2016 पर कार्यशाला, नई दिल्ली में एनएसएफआई ग्लोबल कनेक्ट 2016 – कृषि में प्रौद्योगिकियां एवं इनोवेशन्स : पुशिंग दि फ्रण्टियर; इक्रीसेट, हैदराबाद में एशियन साइन्स पार्क एसोसिएशन (ASPA) का 20वां वार्षिक सम्मेलन, सीआईआई एग्रोटेक 2016; आईआईसीए द्वारा खेती की उत्पादकता को बढ़ाने पर गोलमेज वार्ता; आईआईसीए, टीडीबी तथा टीआईएफएसी आदि द्वारा आयोजित कृषि इनोवेटर्स एवं उद्यमियों के लिए अपस्केलिंग कार्यशाला हेतु तकनीकी – व्यावसायिक परियोजनाओं की पहचान पर कार्यशाला आदि। कम्पनी द्वारा विभिन्न मान्यताप्राप्त संगठनों के साथ सहयोग की पहल भी की गई है जिनमें शामिल हैं : प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशिया–पैसीफिक सेन्टर (APCTT); MANAGE, TRVP-TANUVAS, IICA, ABIC, नेपाल तथा अफ्रीकन–एशियन ग्रामीण विकास संगठन (AARDO)

कम्पनी की प्रोत्साहन गतिविधियां: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकियों को पहुंच को विश्व स्तर पर बढ़ाने के अपने विजन के साथ, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा भारत में स्थित विभिन्न उच्चायुक्त; दूतावास में अपने उत्पादों व सेवाओं को बढ़ावा दिया जिसमें शामिल हैं : बोत्सवाना गणतंत्र का उच्चायुक्त; बुरूण्डी का दूतावास; बांग्लादेश का उच्चायुक्त; इटली दूतावास; मालद्वीव गणतंत्र का दूतावास; मॉरीशस का उच्चायुक्त कार्यालय आदि। इस दिशा में, कम्पनी द्वारा सहयोग अवसरों को तलाशने के प्रयोजन से भारत में न्यूजीलैण्ड दूतावास के अधिकारियों का दौरा भी कराया गया। कम्पनी द्वारा अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतावास और उच्चायुक्त कार्यालयों तक भारतीय कृषि अनुसंधाान परिषद के उत्पादों व सेवाओं को प्रोन्नत किया गया।

पुन: कम्पनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों एवं अन्य परियोजनाओं का आयोजन करने के लिए एशियन (ASEAN) सचिवालय के साथ सहयोग को मजबूती प्रदान की गई है।

''एल्यूरिटिक अम्ल प्रौद्योगिकी की तकनीकी जानकारी'' पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन

भारतीय कृषि अनुसंधाान परिषद – आईआईएनआरजी द्वारा दिनांक 13 – 14 जुलाई, 2016 को एनिंग डेको फाइन केमीकल कम्पनी, लि., कुमिंग, चीन के दो प्रतिनिधियों के लिए ''एल्यूरिटिक अम्ल प्रौद्योगिकी की तकनीकी जानकारी'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कम्पनी का संगठनात्मक ढांचा : कम्पनी का निदेशक मण्डल यह सूचित करते हुए प्रसन्न है कि कम्पनी के संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। पुन: मानदेय सहित कार्य विवरण, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, नियुक्ति नियमावली एवं सेवा शर्तों पर विचार करके नामांकन एवं मानदेय समिति द्वारा उनकी सिफारिश बोर्ड को की जाएगी। बोर्ड द्वारा पुन: यह निर्णय किया गया कि जब बोर्ड के अनुमोदन से कम्पनी द्वारा अपनी व्यवसाय गतिविधायों को बढ़ाया जाए, तब नियुक्ति को चरणबद्ध रीति में किया जाएगा ।

नीति पहलः

अपनी व्यवसाय गतिविधियों में स्पष्टता, पारदर्शिता और एकरूपता लाने की दिशा में, बोर्ड द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के लिए व्यावसायीकृत गतिविधियों को चलाने के लिए कम्पनी हेतु व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया है।



व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों में शामिल है :

- 1. बौद्धक सम्पदा संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश
- 2. प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशानिर्देश
- 3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशानिर्देश
- 4. परामर्शी सेवा और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश
- 5. बाह्य एजेन्सी/परामर्श को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन :

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों के अनुसार, तकनीकी–व्यावसायिक आकलन एवं विशेषज्ञ समितियां गठित को गई हैं ताकि तकनीकी–व्यावसायिक आकलन किया जा सके और सभी भाकृअनुप संस्थानों की क्षमताशील प्रौद्योगिकियों के लिए मानक शर्ते तैयार की जा सकें।

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों के अनुरूपण में, एग्रीनोवेट इंडिया लि. (AgIn) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों यथा भाकृअनुप – केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICAR - CTCRI) केरल भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल(भाकृअनुप – केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान (ICAR - CIBA), चेन्नई (भाकृअनुप – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIHR), बंगलुरू; भाकृअनुप – केन्द्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - CCARI), गोवा; भाकृअनुप – भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIRR), हैदराबाद तथा भाकृअनुप – भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIMR), हैदराबाद आदि की चुनिन्दा प्रौद्योगिकियों के लिए तकनीकी – व्यावसायिक एवं विशेषज्ञ समिति गठित की गई और उनकी बैठकें आयोजित की गई।

इस अवसर पर, कम्पनी बोर्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों का कम्पनी को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहेगा।

भविष्य की ओर दृष्टि

कम्पनी अपने उपभोक्ताओं एवं प्रमुख हितधारकों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक मजबूत संगठन का निर्माण करने और सतत आधार पर कृषि के विकास में योगदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, कम्पनी, मीडिया प्रोन्नयन सहित सम्मेलनों, प्रौद्योगिकियों को बढा़वा देने वाली बैठकों और अन्य प्रोन्नयन आयोजनों के माध्यम से विजीबिलिटी में सुधार लाने हेतु अपने प्रयासों को साकार करने के प्रति प्रयासरत है।

लाभांश

कम्पनी के निदेशक विचाराधीन वर्ष के लिए किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करते।

रिजर्व में राशि का स्थानान्तरण

कम्पनी के बोर्ड द्वारा अपने रिजर्व संग्रह में रूपये 2,10,52,092/- ले जाने का प्रस्ताव किया गया है।

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

जैसा कि पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निदेशक की रिपोर्ट में बताया गया है, डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप को कम्पनी का निदेशक एवं निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही श्री छबिलेन्द्र राऊल, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भाकृअनुप को कम्पनी का निदेशक एवं निदेशक मण्डल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड



पुनः डॉ. एस. अय्यप्पन, कम्पनी के अधयक्ष ने सचिव, डेयर तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के निदेशक पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। साथ ही श्री आर. राजगोपाल, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भारतीय कृज़ि अनुसंधान परिषद ने अपनी पदोन्नति एवं कृषि मंत्रालय से स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया। सहायक महानिदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने पर डॉ. एस. मौर्य ने एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के निदेशक मण्डल से अपना त्यागपत्र दे दिया।

डॉ. पी.एस. पाण्डेय, कार्यकारी सहायक महानिदेशक, आईपीटीएम इकाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, डॉ. पी.एस. पाण्डेय ने सहायक महानिदेशक (आईपी एंड टीएम) इकाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तौर पर नियमित नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के निदेशक पद से अपना त्यागपत्र दे दिया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, डॉ. संजीव सक्सेना, सहायक महानिदेशक (आईपी एंड टीएम), भाकृअनुप को निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड द्वारा डॉ. एस. अय्यप्पन, श्री आर. राजगोपाल, डॉ. एस. मौर्य तथा डॉ. पी.एस. पाण्डेय द्वारा कम्पनी में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना की गई।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं मानदेय) नियमावली, 2014 (तत्कालीन समय के लिए लागू किसी भी सांविधिक संशोधान अथवा पुन: लागू सहित) के साथ पढ़े जाने वाली धारा 2(51) एवं धारा 203 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (KMPs) का विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम
1	श्री रविन्द्रजीत सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री अवेश यादव	मुख्य वित्त अधिकारी
3	श्रीमती निधि गोधा	कम्पनी सचिव

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

बैठक की तारीख	बैठक में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या
12.05.2016	4
15.09.2016	3
2.12.2016	4
20.03.2017	3

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा इनकी नियुक्ति के समय ली जाए और उसे निदेशक की रिपोर्ट में सार्वजनिक किया जाए।



वार्षिक रिटर्न का सार

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 92(3) तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में, वार्षिक रिटर्न का सार रिपोर्ट के साथ एमजीटी–9 के प्रारूप में संलग्न है।

सांविधिक लेखा-परीक्षक, उनकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरण का नोट

मैसर्स वीएसडी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया था। सुभाष सी. गुप्ता एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, दिल्ली को वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी का आंतरिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया था। अनुसूची के नोट्स के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसा कोई आकलन अथवा विशिष्टता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जिस पर पुन: टिप्पणी करने अथवा स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो। लेखा के नोट्स स्वत: व्याख्यात्मक हैं और इस बारे में कोई और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

पुन: कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (क क) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 619 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कम्पनी के लेखा परीक्षक नियुक्त अथवा पुन: नियुक्त किए जाएँ और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कम्पनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में किया जाए। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी है। आम बैठक में बोर्ड को अधिकृत किया जाए कि उसके द्वारा कार्य की मात्रा और प्रचलित महंगाई दर में वृद्धि को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए लेखा परीक्षकों का समुचित पारिश्रमिक निर्धारित किया जाए।

सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 204 एवं नियमावली की शर्तों के तहत मैसर्स अरूणेश दुबे एंड कम्पनी, कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

इस रिपोर्ट के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणी के संदर्भ में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कम्पनी नियमावली, 2014 की धारा 149 एवं नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसरण में कम्पनी द्वारा अभी तक किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है।

इस संबंध में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कम्पनी ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभ्यर्थी के नामांकन मांगे जा रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसा कोई आकलन अथवा विशिष्टता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जिस पर पुन: टिप्पणी करने अथवा स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो। लेखा के नोट्स स्वत: व्याख्यात्मक हैं और इस बारे में कोई और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों अथवा समझौतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा किसी प्रकार का अनुबंध अथवा समझौता नहीं किया गया।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तात्विक बदलाव

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के मध्य कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई अन्य तात्विक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।



लेखा परीक्षा (ऑडिट) समिति

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- क) श्री सुनिल कुमार सिंह अध्यक्ष
- ख) डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल सदस्य
- ग) डॉ. संजीव सक्सेना सदस्य

लेखा परीक्षा समिति, कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचना के खुलासे पर नजर रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और साख वाले हों; अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करेगी; आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, स्टाफ स्थिति और विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा की आवर्ती सहित आन्तरिक लेखा परीक्षा के कार्यों की उपयुक्तता की समीक्षा करेगी; तथा साथ ही आन्तरिक लेखा परीक्षा के साथ चर्चा करके कोई उल्लेखनीय परिणाम तथा अनुवर्ती कार्रवाई, आदि सुनिश्चित करेगी।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी बोर्ड द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें शामिल सदस्य हैं :

- 1. डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल, निदेशक
- 2. डॉ. संजीव सक्सेना, निदेशक

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को किसी निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदण्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही समिति को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने; यह सुनिश्चित करने कि पारिश्रमिक का स्तर एवं संयोजन न्यायसंगत तथा पर्याप्त हो, प्रदर्शन और पारिश्रमिक का सह-संबंध स्पष्ट हो और इससे प्रदर्शन बेंचमार्क पूरे होते हों तथा इसमें निर्धारित तथा प्रोत्साहन वेतन के बीच एक संतुलन शामिल हो; की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। समिति को प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और प्रदर्शन के आधार पर इसकी नियुक्ति करने अथवा हटाने की सिफारिश का दायित्व भी सौंपा गया है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी तथा निवेश का विवरण ऋण का विवरण

क्र.सं.	ऋण	ऋण	राशि	प्रयोजन जिसके	समयावधि	बी.	एस.आर.	ब्याज	प्रतिभूति
	की	लेने		लिए ऋण लेने	जिसके	आर.	की तारीख	दर	
	तारीख	वाले का		वाले द्वारा ऋण			(यदि		
		विवरण		का उपयोग	दिया गया	तारीख	वांछित हो)		
				किया जाना है	和の				
				शून्य					

निवेश का विवरण :

2	ਸ .	निवेश	निवेश	राशि	प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता	बी.	एस.आर. की	वसूली की
7	.	की	का		द्वारा निवेश का उपयोग किया	आर. की	तारीख (यदि	अपेक्षित दर
		तारीख	विवरण		जाना प्रस्तावित है	तारीख	वांछित हो)	
				शून्य				



प्रदान की गई गारंटी ⁄ प्रतिभूति का विवरण :

क्र.सं	प्रतिभूति∕	प्राप्तकर्ता	राशि	प्रयोजन जिसके लिए	बी.आर.	एस.आर. की	कमीशन
	गारंटी प्रदान	का		प्राप्तकर्ता द्वारा गारंटी/	की		
	करने की	विवरण		प्रतिभूति का उपयोग	तारीख	वांछित हो)	
	तारीख			किया जाना प्रस्तावित है			
			शून्य				

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च का विवरण इस प्रकार है :

क) ऊर्जा संरक्षण :

संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश	लागू नहीं
) प्रौद्योगिकी समावेशन :	
प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास	लागू नहीं
उत्पन्न लाभ	लागू नहीं
अनुसंधान व विकास पर खर्च, यदि कोई है	लागू नहीं
आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण, यदि कोई है	लागू नहीं
आयात का वर्ष	लागू नहीं
क्या आयातित प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेशन किया गया	लागू नहीं
गेगे शेन जनां आगानिन गौरगेगिनी का गागनेशन नहीं किया जा गुका गति कोर्ट है	च्चाम चर्नी

ऐसे क्षेत्र जहां आयातित प्रौद्योगिकी का समावेशन नहीं किया जा सका, यदि कोई है 👘 लागू नहीं

ग) विदेशी मुद्रा का अर्जन⁄खर्च :

अर्जन	अथवा	आय	रूपये	75,509/-
r			`	

खर्च रूपये 1,66,041/-

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आन्तरिक वित्त द्वारा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में नियंत्रण किया जाता है।

जमा

ख)

कम्पनी ने किसी प्रकार का नियत (फिक्शड) जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार आज की तारीख में तुलन-पत्र अथवा बैलेंस शीट के अनुसार मूल अथवा ब्याज के रूप में कोई राशि बकाया नहीं थी।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के निदेशकों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) समिति का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष के रूप में श्री छबिलेन्द्र राउल को तथा अन्य सदस्यों के रूप में डॉ. संजीव सक्सेना तथा कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शामिल किया गया।

उपरोक्त समिति को बोर्ड को एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीति की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है जिसमें कम्पनी द्वारा किए जाने वाले कार्यो, कॉरपोरेट सामाजिक

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड



उत्तरदायित्व नीति के फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की निगरानी तथा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली धनराशि की सिफारिश करने का उल्लेख किया जाना है।

कम्पनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएसआर-15/0008/2014-निदे (सीएसआर) दिनांक 23.01.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मंत्री महोदय (HI & PE) के अनुमोदन से सीएसआर के लिए डीपीई दिशानिर्देशों को वापिस ले लिया गया है। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया है कि कम्पनी द्वारा सीएसआर पर कम्पनीज अधानियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में सीएसआर गतिविधियां चलाई जाएं।

वर्तमान में, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :

- क) यह कि दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया;
- ख) यह कि दिनांक 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के मामलों (स्टेट ऑफ अफेयर्स) तथा इस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ/हानि की सही और स्पष्ट स्थिति देने के लिए निदेशकों द्वारा ऐसी लेखा नीतियां अपनाई गई तथा उपयुक्त निर्णय और आकलन विवेकपूर्ण ढंग से किए गए;
- ग) यह कि धोखाधडी और अन्य अनियमितताओं को रोकने अथवा इनका पता लगाने और कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूपण में उचित लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई;
- घ) यह कि निदेशकों द्वारा अपेक्षाओं के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए गए;
- ड) यह कि निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उचित प्रणालियां तैयार की गई और ऐसी प्रणालियां प्रचालन के कार्यान्वयन में पर्याप्त एवं प्रभावी थीं।

अभिस्वीकृति

कम्पनी के निदेशक सभी स्तरों पर कार्यरत कम्पनी के कर्मचारियों की सराहना करते हैं जिन्होंने कम्पनी की प्रगति और प्रदर्शन में अपना योगदान दिया है।

आपके निदेशक इस अवसर का लाभ कम्पनी के निदेशक बोर्ड के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए मूल्यवान सहयोग व मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करने में करते हैं। साथ ही मैं कम्पनी की प्रगति में कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार; भारतीय कृषि अनुसंधाान परिषद; कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल; कम्पनी के सांविधिक तथा आन्तरिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक विभाग के अधिकारियों तथा कम्पनी के बैंकरों द्वारा

दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करता हूं। कृते निदेशक बोर्ड

ह0/-

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 08.08.2017

(त्रिलोचन महापात्र)

वार्षिक रिपोर्ट 2016–17



फार्म सं. एमजीटी 9
वार्षिक लाभ का सार
दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कम्पनी नियमावली, 2014 के नियम 12 (1)
(प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i	सीआईएन (CIN)	U01400DL2011GOI226486
ii	पंजीकरण की तारीख	19/10/2011
iii	कम्पनी का नाम	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
iv	कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	सरकारी सार्वजनिक कम्पनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव
		प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली- 110 012
vi	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट (यदि कोई है)	लागू नहीं
	का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण	

11. कम्पनी की प्रमुख व्यवसाय गतिविधियां

कम्पनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यवसाय गतिविधियों को बताया जाए।

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि समूह कोड	मुख्य गतिविधि का नाम एवं विवरण	व्यवसाय गतिविधि कोड	व्यवसाय गतिविधि का कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	A	कृषि	A4	प्रणाली में सृजित बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण एवं रख–रखाव करना और सार्वजनिक हित के लिए इसका व्यावसायीकरण/वितरण करना	55.79%
2	A	कृषि	A4	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों यथा बीज, रोपण सामग्री, टीका, नैदानिकी, अनेक अन्य जैव प्रौद्योगिकीय उत्पाद, अन्य मूल्य वर्धित निवेश एवं उत्पाद, फार्म उपकरण व मशीनरी, अन्य प्रौद्योगिकियां आदि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की उत्पाद प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का उत्पादन, विपणन एवं उन्हें प्रचलित करना।	

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड



М		M3	3 3	44.21%
	वैज्ञानिक		कस्टमाइज्ड क्षमता निर्माण आदि जैसी	
	एवं		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कौशल	
	तकनीकी		सेवाओं का प्रोफेशनल विस्तार प्रदान करना।	
А	कृषि	A4	भारत से बाहर विशेषकर अफ्रीका एवं एशिया	0%
			प्रशांत क्षेत्र में अनुसंधान एवं उत्पादन फार्म	
			की स्थापना करना। विभिन्न कार्यशालाओं	
			तथा प्रगति के माधयम से ग्लोबल ब्राण्ड	
			का निर्माण करने की पहल के साथ संवर्धन	
			निर्माण पहल का हिस्सा बनना	
М	प्रोफेशनल,	M3	विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि इंजीनियरिंग आदि	0%
	वैज्ञानिक		में उत्पादन और प्रसंस्करण संयंत्रों पर	
	ए वं		महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु तकनीकी सहयोग	
	तकनीकी		प्रदान करना	
А	कृषि	A4	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा	0%
			तथा अन्य क्षमता निर्माण में सार्वजनिक-निजी	
			भागीदारी का सृजन करना	
М	प्रोफेशनल,	M3	मांग चालित अनुसंधान में सहयोग करने	0%
	वैज्ञानिक		के लिए बाजार बुद्धि चातुर्य, मूल्यीकरण	
	एवं		एवं मूल्यांकन मुद्दों जैसे प्रबंधन के साथ	
	तकनीकी			
			गतिविधियों को चलाना	
	M	भागर(113), वैज्ञानिक एवं तकनीकी A कृषि M प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी A कृषि M प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी A कृषि M प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	वैज्ञानिक एवं एवं तकनीकी A कृषि A4 M प्रोफेशनल, M3 वैज्ञानिक	वैज्ञानिक एवं तकनीकीकस्टमाइज्ड क्षमता निर्माण आदि जैसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कौशल सेवाओं का प्रोफेशनल विस्तार प्रदान करना।AकृषिA4भारत से बाहर विशेषकर अफ्रीका एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुसंधान एवं उत्पादन फार्म की स्थापना करना। विभिन्न कार्यशालाओं तथा प्रगति के माधयम से ग्लोबल ब्राण्ड का निर्माण पहल को सिस्सा बननाMप्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकीM3विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि इंजीनियरिंग आदि में उत्पादन और प्रसंस्करण संयंत्रों पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करनाAकृषिA4कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा तथा अन्य क्षमता निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सृजन करनाMप्रोफेशनल, वेज्ञानिक पर्व तकनीकीM3विभिन्न अंत्रे स्मबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा तथा अन्य क्षमता निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सृजन करनाMप्रोफेशनल, वेज्ञानिक एवं एवं एवं एवं तकनीकीM3मांग चालित अनुसंधान में सहयोग करे ति के लिए बाजार बुद्धि चातुर्य, मूल्यीकरण एवं मूल्यांकन मुद्दों जैसे प्रबंधन के साथ कृषि विज्ञान में समेकित कुशलता वाली

III. स्वामित्व, सहायक तथा एसोसिएट कम्पनियों का विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन⁄जीएलएन (CIN/GLN)	स्वामित्व⁄सहायक⁄ एसोसिएट	उपलब्ध शेयरों का %	लागू धारा
1	शून्य				

IV. शेयरधारक पैटर्न (कुल इक्विटी में प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

शेयरधारक वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या की श्रेणी			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष त दौरा बदला प्रतिश	न वि		
	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %		
क) प्रोमोटर्स				901 70				901.70		
(1) भारतीय			शून्य				शून्य			
क) वैयक्तिक/ एचयूएफ	शून्य	60	60	0	शून्य	60	60	0		

वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 💼



ख) केन्द्र सरकार अथवा	शून्य	4 ,99 ,99 ,940	4 ,99 ,99 ,940	100	शून्य	4 ,99 ,99 ,940	4 ,99 ,99 ,940	100	शून्य	
सरकार जयपा राज्य सरकार										
ग) कारपोरेट बॉडीज कॉरपोरेट			शून्य				शून्य			
घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ड) कोई अन्य			शून्य				शून्य			
उप योगः (क) (1)										
(2) विदेशी										
क)एनआरआई - वैयक्तिक			शून्य				शून्य		शून्य	
ख) अन्य वैयक्तिक			शून्य				शून्य			
ग) बॉडीज कॉरपोरेट			शून्य				शून्य			
घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ड) कोई अन्य			शून्य				शून्य			
उप योग : (क) (2)										
प्रोमोटर की कुल शेयर धारिता क =										
(क)(1) +(क)(2)										
ख.सार्वजनिक शेयर धारिता										
(1) संस्थान										
क) म्यूचुअल फंड			शून्य				शून्य		शून्य	
ख) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ग) केन्द्र सरकार			शून्य				शून्य			
घ) राज्य सरकार			शून्य				शून्य			

ड) उद्यम पूंजी फंड	शून्य		शून्य		
च) बीमा कम्पनियां	शून्य		शून्य		
छ) एफआई आईएस	शून्य		शून्य		
ज) विदेशी उद्यम पूंजी फंड	शून्य		शून्य		
झ) अन्य (स्पष्ट करें)	शून्य		शून्य		
उप योग (ख)(1):					
(2) गैर संस्थान					
क) निकाय कॉरपोरेट	शून्य		शून्य	शून्य	
i) भारतीय	शून्य		शून्य		
ii) विदेशी	शून्य		शून्य	 	
ख) वैयक्तिक	शून्य		शून्य		
 रूपये एक लाख तक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक 	शून्य		शून्य		
ii) रूपये एक लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	शून्य		शून्य		
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	शून्य		शून्य		
उप योग (ख)(2):					
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख) (1) + (ख)(2)	शून्य		शून्य	शून्य	



एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड



ग. जीडीआर		शून्य		शून्य	शून्य	
तथा एडीआर						
के लिए कस्टोडियन						
कस्टोडियन						
द्वारा धारित						
शेयर						
समग्र योग		5 ,00 ,00 ,000		5 ,00 ,00 ,000	शून्य	
(क + ख +ग)						

प्रोमोटर की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारक का	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारिता				वर्ष के		
	नाम							दौरान शेयर
		शेयरों की	कम्पनी के	कुल शेयरों	शेयरों की	कम्पनी के	कुल शेयरों	धारिता में
		संख्या	कुल शेयरों	में बंधक	संख्या	कुल शेयरों	में बंधक	बदलाव का
				शेयर भारिता			शेयर भारिता	प्रतिशत
			%	का %		%	का %	
1.	श्री हरिहर मिश्रा	4,99,99,940	99.99988	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	के माध्यम से							
	भारत के राष्ट्रपति							
2.	श्रीमती निरंजन	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कौर							
3.	श्रीमती अलका	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आहूजा							
4.	श्री विजय सिंह	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री विनोद कुमार	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सिंह							
6.	श्री रविनेश कुमार	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन है तो कृपया स्पष्ट करें)

	वर्ष के प्रार	रंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान	
			संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की	कम्पनी के कुल	शेयरों की संख्या	कम्पनी के
	संख्या	शेयरों में हिस्सेदारी		कुल शेयरों में
		%		हिस्सेदारी%
वर्ष के प्रारंभ में	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स				
की शेयरधारिता में				
आंकडा–वार वृद्धि/कमी				
(वृद्धि/कमी यथा आवंटन/				
स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट				
इक्विटी आदि के लिए				
कारण स्पष्ट करें)	499,99,990	100	499,99,990	100
वर्ष की समाप्ति पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	वर्ष की समाप्ति	पर शेयरधारिता	
प्रत्येक शीर्ष दस	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में	शेयरों की संख्या
शेयरधारकों के लिए		हिस्सेदारी%	
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य		
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स			
की शेयरधारिता में			
आंकडा–वार वृद्धि/कमी			
(वृद्धि/कमी यथा आवंटन/			
स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट			
इक्विटी आदि के लिए			
कारण स्पष्ट करें)			
दिनांक 8.11.2016 के			
परिपत्र संकल्प के माधयम			
से डेयर से प्राप्त नामांकन			
के अनुसंधान स्थानान्तरित	499,99,990	100	499,99,990
वर्ष को समाप्ति पर			
(अथवा अलग होने की			
तारीख पर, यदि वर्ष के			
दौरान अलग हुए हैं)	499,99,990	100	499,99,990

शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा)

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

शून्य

	वर्ष के प्र	ारंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख	शेयरों की		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल
प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	संख्या	शेयरों में हिस्सेदारी%		शेयरों में हिस्सेदारी%
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य			
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की				
शेयरधारिता में आंकडा-वार				
वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी				
यथा आवंटन/स्थानान्तरण/				
बोनस/स्वीट इक्विटी आदि				
के लिए कारण स्पष्ट करें)				
वर्ष की समाप्ति पर	शून्य			



v. कर्जदारी : लागू नहीं

बकाया /उपार्जित ब्याज सहित कम्पनी				
की कर्जदारी लेकिन भुगतान के लिए				
देय नहीं				
	जमा को छोड़कर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल कर्जदारी
	सुरक्षित ऋण			
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
किया गया				
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी				
अथवा ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
जमा	शून्य	शून्य	शून्य	
कमी	शून्य	शून्य	शून्य	
निवल बदलाव			शून्य	
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कर्जदारी				
अथवा ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
किया गया				
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा⁄अथवा प्रबंधक को लागू नहीं पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक			कुल
			निदेशक त	ाथा∕अथवा	प्रबंधक का नाम	राशि
1	सकल वेतन					
	क) आयकर अधिनियम, 1961	लागू नहीं				
	की धारा 17(1) में निहित					
	प्रावधानों के अनुसार वेतन					
	ख) आयकर अधिनियम, 1961	लागू नहीं				
	को धारा 17(2) के तहत पूर्व					
	निर्धारित का मूल्य					



	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	लागू नहीं		
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं		
3	स्वीट इक्विटी	लागू नहीं		
4	कमीशन लाभ के प्रतिशत के रूप में अन्य (स्पष्ट करें)	लागू नहीं		
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	लागू नहीं		
	कुल (क)	लागू नहीं		
	अधिनियम के अनुसार सीमित			

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः लागू नहीं

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	नि	देशकों का	नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस			शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (1)				
2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (2)				
	कुल (ख)=(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा				
प्रबंधा	- निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक (WTD)	के अलावा	प्रमुख प्रबंध	कीय कार्मिकों	को मानदेय



ग. प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा⁄अथवा प्रबंधक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख	प्रबंधकीय कार्गि	र्मेक	कुल
1	सकल वेतन	सीईओ	कम्पनी सचिव	सीएफओ	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	15,41,928	12,72,365	शून्य	28,14,293
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व निर्धारित का मूल्य		शून्य	शून्य	
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	
	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल	15,41,928	12,72,365	शून्य	28,14,293

VII. पेनल्टी/दण्ड/अपराधों का समझौता

किस्म	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	पेनल्टी∕दण्ड ∕लगाई गई समझौता फीस का विवरण	एथॉरिटी (आरडी⁄ एनसीएलटी⁄ न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई है तो कृपया विवरण दें
क. कम्पनी					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				
ख. निदेशक					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				
ग. अन्य दोषी उ	अधिकारी				
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				



एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड CIN :U01400DL2011GOI226486 31 मार्च, 2017 को तुलन-पत्र अथवा बैलेंस शीट

(राशि रूपये में)

	विवरण	नोट	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
		संख्या	के अनुसार	के अनुसार
I.	इक्विटी एवं देयताएं			
(1)	शेयरधारकों का फंड			
	क) शेयर पूंजी	2	50,00,00,000	50,00,00,000
	ख) रिजर्व एवं सरप्लस	3	12,91,80,577	10,81,28,484
			62,91,80,577	60,81,28,484
(2)	वर्तमान देयताएं			
	क) अन्य वर्तमान देयताएं	4	26,98,459	29,00,600
	ख) प्रावधान	5	18,96,360	25,16,201
	कुल		63,37,75,396	61,35,45,285
II.	परिसम्पत्तियां			
(1)	गैर-आवर्ती परिसम्पत्ति			
	क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :	6	50,77,737	68,11,925
	ख) अगोचर परिसम्पत्ति	6	40,291	-
	ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	15	8,67,474	10,77,049
(2)	चालू परिसम्पत्तियां			
	क) व्यापार प्राप्तियां	7	7,85,400	7,85,400
	ख) नकद एवं बैंक बैलेंस	8	58,95,29,372	56,40,78,184
	ग) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	9	3,74,75,122	4,07,92,727
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा नोट्स	1		
	कुल		63,37,75,396	61,35,45,285

संलग्न समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार वी एस डी एंड एसोसिएट्स की ओर से चार्टर्ड एकाउन्टेंटस फर्म पंजीकरण संख्या : 008726एन

भागीदार : अंकित गर्ग सदस्यता संख्या : 515099 स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 08.08.2017 छबिलेन्द्र राउल

अपर निदेशक डीआईएन : 01003691

निधि गोधा कम्पनी सचिव A-19246 **त्रिलोचन महापात्र** अपर निदेशक डीआईएन : 07556629

आवेश यादव मुख्य वित्त अधिकारी PAN: AAPPY2129R



एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड CIN :U01400DL2011GOI226486 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

(राशि रूपये में)

	विवरण	नोट	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
		संख्या	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
I.	प्रचालनों से राजस्व	10	13,44,222	1,67,10,043
II.	अन्य आय	11	4,55,58,708	5,01,99,730
III.	कुल राजस्व (I+II)		4,69,02,930	6,69,09,773
IV.	व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	12	73,94,225	72,99,814
	अवमूल्यन	6	18,86,178	28,00,119
	अन्य व्यय	13	54,19,678	1,98,90,402
	वित्तीय व्यय	14	5,729	61,604
V	कुल व्यय		1,47,05,810	3,00,51,939
V.	आपवादिक एवं असाधारण मदों तथा कर के		3,21,97,120	3,68,57,834
	साथ पूर्व लाभ (III-IV)			
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ		3,21,97,120	3,68,57,834
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	कर – पूर्व लाभ		3,21,97,120	3,68,57,834
X.	कर संबंधी व्यय :			
	पिछले वर्ष के कर संबंधी व्यय :			
	(1) चालू कर		1,08,79,084	1,22,11,061
	(2) आस्थगित कर	15	2,09,575	(2,08,509)
	(2) अवधि पूर्व कर समायोजन		56,369	1,85,177
XI.	लगातार चल रहे प्रचालन की अवधि के लिए		2,10,52,092	2,46,70,104
	लाभ (VII-VIII)			
XII.	अनियमित प्रचालन से लाभ		-	-
XIII.	अनियमित प्रचालन का कर संबंधी व्यय		-	-
XIV.	कर उपरांत अनियमित प्रचालन से लाभ (XII-XIII)		-	-
XV.	अवधि विशेष के लिए लाभ (XI+XIV)		2,10,52,092	2,46,70,104
XVI.	प्रति शेयर मूल एवं अवमिश्रित आय (रूपये में)		0.42	0.49
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा नोट्स	1		

संलग्न समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार वी एस डी एंड एसोसिएट्स की ओर से चार्टर्ड एकाउन्टेंटस फर्म पंजीकरण संख्या : 008726एन

भागीदार : अंकित गर्ग सदस्यता संख्या : 515099 स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 08.08.2017 **छबिलेन्द्र राउल** अपर निदेशक डीआईएन : 01003691

निधि गोधा कम्पनी सचिव A-19246

27

त्रिलोचन महापात्र अपर निदेशक डीआईएन : 07556629

आवेश यादव मुख्य वित्त अधिकारी PAN: AAPPY2129R



एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड CIN :U01400DL2011GOI226486 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

	`	N.
(राशि	राज्य	TT \
	2449	- - /

विवरण	31 मार्च. 2017 को	31 मार्च, 2016 को
	समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	3,21,97,120	3,68,57,834
के लिए समायोजन :		
अवमूल्यन अथवा मूल्य हास	18,86,178	28,00,119
ब्याज से आय	(4,55,53,561)	(5,01,86,016)
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	(1,14,70,263)	(1,05,28,063)
कार्यशील पूँजी में बदलाव :		
प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्तियां	-	2,61,800
अन्य चालू अथवा वर्तमान परिसम्पत्तियां	52,68,860	(499)
प्रचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
अन्य चालू देनदारियां	(2,02,141)	2,63,719
अल्पावधि प्रावधान	(6,19,841)	8,79,695
शुद्ध आय कर (भुगतान किया गया)/वापसी	(1,28,86,709)	(1,35,04,789)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह⁄(उपयोग में) (क)	(1,99,10,092)	(2,26,28,137)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाह		
नियत परिसम्पत्तियों पर पूंजी व्यय	(1,92,281)	(1,86,104)
सावधि जमा पर ब्याज	4,55,53,561	5,01,86,016
सावधि जमा	(3,00,00,000)	(1,91,09,063)
नियत परिसम्पत्तियों के लिए ऋणदाता	-	(9,90,273)
निवेश करने वाली गतिविधियों से निवल नकदी	1,53,61,281	2,99,00,577
प्रवाह ⁄(उपयोग में) (ख)		
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी का प्रवाह	-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी का प्रवाह /	-	-
(उपयोग में) (ग)		
नकद तथा नकद समतुल्य (क+ख+ग) में निवल वृद्धि/(कमी)	(45,48,812)	72,72,440
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	1,40,78,184	68,05,744
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य	95,29,372	1,40,78,184

संलग्न समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार वी एस डी एंड एसोसिएट्स की ओर से चार्टर्ड एकाउन्टेंटस फर्म पंजीकरण संख्या : 008726एन

भागीदार : अंकित गर्ग सदस्यता संख्या : 515099 स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 08.08.2017 छबिलेन्द्र राउल

अपर निदेशक डीआईएन : 01003691

निधि गोधा

कम्पनी सचिव A-19246 **त्रिलोचन महापात्र** अपर निदेशक डीआईएन : 07556629

आवेश यादव मुख्य वित्त अधिकारी PAN: AAPPY2129R



आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आयकर योग आय की गणना

(राशि रूपये में)

पी एंड एल खाते के अनुसार कर से पूर्व शुद्ध		
लाभ		
जमा : मदों की अनुमति नहीं :-		3,21,97,120
टीडीएस पर ब्याज		565
पूर्व अवधि व्यय		13,269
बही के अनुसार अवमूल्यन कुल		18,86,178
कमी :	(क)	3,40,97,132
आयकर अधिनियम के तहत अवमूल्यन		11,93,024
सावधि जमा पर ब्याज से अर्जित आय		4,42,26,079
स्वीप खाते पर ब्याज		13,27,482
	(ख)	4,67,46,585
व्यवसाय आय	क-(ख)	(1,26,49,453)
जमा :अन्य म्रोतों से आय		4,55,53,561
सकल कुल आय		3,29,04,108
कमी B/F आयकर रिटर्न के अनुसार व्यवसाय		-
नुकसान		
आयकर योग्य आय		3,29,04,108
आयकर	30%	98,71,232
सरचार्ज	7%	6,90,986
कुल		1,05,62,218
शिक्षा सेस	2%	2,11,244
सेकेण्डरी एवं उच्चतर शिक्षा सेस	1%	1,05,622
धारा 234 के तहत ब्याज को हटाकर कुल कर भुगत	1,08,79,084	
धारा 234 बी के तहत कर भुगतान योग्य पर ब्याज		
धारा 234 के तहत ब्याज सहित कुल कर भुगतान य	1,08,79,084	
कमी : आकलन वर्ष 2017-18 के लिए भुगतान वि	82,00,000	
कमी : आकलन वर्ष 2017-18 के लिए स्रोत पर व	46,30,340	
शुद्ध भुगतान /(रिफंड) योग्य कर		(19,51,256)



आगे ले जाये गए व्यवसाय नुकसान⁄	गैर-अवशोषित अवमूल्यन का विवरण
--------------------------------	-------------------------------

क्र.सं.	आकलन वर्ष	प्रकृति	पिछला जोड़	वर्ष के दौरान सेट ऑफ	अग्रेनीत
1	2012.13	Business Losses	13,89,066	-	13,89,066
	कुल		13,89,066	#	13,89,066

26 ए एस के अनुसार टीडीएस का विवरण

आगे ले जाये गए व्यवसाय नुकसान⁄गैर-अवशोषित अवमूल्यन का विवरण

क.सं.	पार्टी का नाम	TAN	राशि	TDS
1	सेन्ट्रल बैंक आफॅ इंडिया	DELC06997E	13,27,119	1,32,729
2	डीएसएस इमेजटेक प्रा. लि.	DELD04465G	7,50,000	75,000
3	स्टेट बैंक आफॅ पटियाला	DELS21451D	31,12,131	3,11,214
4	स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर व जयपुर	DELS36783F	4,11,13,947	41,11,397
	कुल			46,30,340



एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां एवं अन्य लेखा नोट्स

नोट संख्या : 1

(1) कॉरपोरेट सूचना

(क) कम्पनी को दिनांक 19 अक्तूबर, 2011 को निगमित किया गया था। कम्पनी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक शत प्रतिशत कम्पनी है। (ख) श्री आवेश यादव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कर्मचारी हैं और वे कम्पनी के कार्यों को देख रहे हैं। इस बारे में न तो उन्हें अथवा भाकृअनुप को किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है।

(ग) कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी 100 (सौ) करोड़ रूपये है। जबकि जारी की गई, अंशदान की गई व भुगतान की गई शेयर पूंजी 50 (पचास) करोड़ रूपये है।

(11) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार : इन वित्तीय विवरणों को उचित मानों पर मापे जाने वाले कुछ निश्चित वित्तीय उपकरणों को छोड़कर उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागत, जैसी कि अधिसमय के अनुसार लागू है, के तहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) के अनुसार तैयार किया जाता है। सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) में कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 133 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान (अधिसूचित की सीमा तक) के निर्धारित अधिदेशीय लेखा मानक शामिल होते हैं। कम्पनी द्वारा लगातार लेखा नीतियों को लागू किया गया है और पिछले वर्ष में इनका लगातार उपयोग किया गया है।

(ख) प्राक्कलनों का प्रयोग: प्राक्कलन तैयार करने तथा अनुमान लगाने हेतु सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के लिए व्यवस्था किए जाने की जरूरत है जो कि परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों की सूचित राशि पर प्रभाव डालती है तथा उस पर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तारीख एवं राजस्व तथा व्यय की सूचित राशि का प्रकटीकरण करती है। भौतिक परिणामों और प्राक्कलनों के अन्तर को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें परिणामों को कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) राजस्व मान्यता

1. ब्याज से अर्जित आय के लिए नीति

बकाया राशि एवं लागू ब्याज दर को धयान में रखते हुए सावधि जमा तथा फलैक्सी जमा लेखा पर ब्याज से मिले राजस्व को समायानुपात आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

2. रॉयल्टी आय के लिए नीति

लाइसेंसिंग समझौते अथवा करार के अनुसार देय आधार पर रॉयल्टी को प्राप्त किया जाता है तथा मान्यता प्रदान की जाती है।

3. लाइसेंस फीस के लिए नीति

लाइसेंस फीस को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जबकि संबंधिात लाइसेंस समझौते अथवा करार के

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड



अनुसार लाइसेंस विशेष के बारे में लाइसेंसधारक को पूरी तकनीकी जानकारी, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। लाइसेंस प्रदान करने के लिए होने वाला व्यय लाइसेंस की लागत (खर्च) के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नीति

संबंधिात प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किए जाने पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने से प्राप्त राजस्व को मान्यता प्रदान की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयता अथवा देनदारी एवं प्रावधान

किसी प्रावधान को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब कम्पनी के पास मौजूदा दायित्व हो और पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप, यह संभव हो कि इस दायित्व का समाधान करने के लिए संसाधनों का निर्गम करना आवश्यक होगा और जिसके बारे में, विश्वसनीय आकलन बनाए जा सकते हैं। प्रावधानों में इसके मौजूदा मूल्य के लिए छूट नहीं दी जाती है और इन्हें बैलेंस शीट की तारीख में दायित्व का समाधान करने के लिए अपेक्षित आकलन के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। इनकी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को समीक्षा की जाती है और बेहतर आकलनों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, आकस्मिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों अथवा देयताओं को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उन्हें प्रकट किया जाता है।

(च) परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर घटे संचित अवमूल्यन पर दर्शाया जाता है। लागत में कोई भी ऐसी लागत शामिल हो सकती है जो इसके अपेक्षित प्रयोग हेतु इसकी कार्यशील स्थिति के लिए परिसम्पत्तियों को महत्वपूर्ण बनाती है।

(छ) अवमूल्यन अथवा मूल्यहास

अगोचर परिसम्पत्तियों यथा परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर अवमूल्यन अथवा मूल्यहास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के तदनुसार उपयोगपूर्ण अवधि पर घटती मूल्य विधि के आधार पर लगाया जाता है । वर्ष के दौरान खरीदी अथवा बेची गई परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अवमूल्यन अथवा मूल्यहास की गणना प्रो-रेटा आधार पर की जाती है।

(ज) कराधान

आयकर में चालू कर और आस्थगित कर शामिल है।

चालू (प्रचलित) कर

चालू (प्रचलित) कर के लिए प्रावधान को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त है और यह कर भत्तों तथा छूट के लिए क्रेडिट लेने के उपरान्त कर देयता के आधार पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को समय अन्तराल में भावी कर परिणामों के लिए मान्यता प्रदान की जाती है जो कि आय के लिए प्रस्तुत लाभ और वित्तीय विवरण के अनुसार लाभ के बीच होते हैं। आस्थगित कर प्रभार अथवा जमा (क्रेडिट) और उसी अवधि की आस्थगित कर देयताओं अथवा परिसम्पत्तियों को कर दरों का प्रयोग करते हुए मान्यता प्रदान की जाती है जिन्हें बैलेंस शीट अथवा तुलन–पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित अथवा स्थापित किया गया है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं का मापन कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करके किया जाता है जो कि तुलन पत्र तारीख में पर्याप्त रूप से लागू हैं। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को मान्यता प्रदान की जाती है



और उन्हें उसकी सीमा तक आगे ले जाया जाता है कि इस बात की एक संगत सुनिष्ठिचतता हो कि पर्याप्त रूप में भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसकी तुलना ऐसी आस्थगित कर परसम्पत्तियों से होगी जिनकी वसूली की जा सकती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का पुन: आकलन प्रत्येक तुलन पत्र में उनके संबंधित ले जाने वाले मानों की उपयुक्तता के लिए किया जाता है।

(झ) प्रति शेयर आय

विचारित आय कम्पनी की ईपीएस को सुनिश्चित करती है जिसमें कर के उपरान्त शुद्ध लाभ शामिल है और इसमें किसी भी असाधारण मदों का कर उपरान्त प्रभाव सम्मिलित है। मूल ईपीएस की गणना करने में प्रयोग किए गए शेयरों की संख्या को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या की तुलना में वरीयता अथवा भारिता दी जाती है।

(ट) विदेशी मुद्रा में लेन-देन

- प्रारंभिक मान्यता विदेशी मुद्रा में लेन देन की गणना रिपोर्टिंग मुद्रा में की जाती है जिसके लिए लेन देन की तारीख पर रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर राशि में विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाता है।
- II) रूपांतरण रिपोर्टिंग तारीख में प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्रा लाभ मदों का रूपांतरण किया जाता है, गैर लाभ वाली मदों को किसी विदेशी मुद्रा में प्रचलित ऐतिहासिक लागत के संबंध में मापा जाता है और इसकी रिपोर्टिंग लेन देन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए की जाती है।
- III) विनिमय भिन्नता विदेशी मुद्रा लाभ मदों के रूपांतरण/निपटान पर उत्पन्न विनिमय भिन्नता की पहचान जिस अवधि में वह उत्पन्न हुआ है, में आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

(ठ) सेवानिवृति लाभ के लिए प्रावधान

कम्पनी में प्रोविडेन्ट फंड तथा ईएसआईसी के प्रावधान लागू नहीं होते। चूंकि कम्पनी का कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं होता, इसलिए वर्ष 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

2. शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2017 की तारीख के अनुसार	31.03.2016 की तारीख के अनुसार
प्राधिकृत प्रति 10/– रूपये के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
निर्गम, पूर्वकृत और प्रदत्त	50,00,00,000	50,00,00,000
प्रति 10/- रूपये के पूर्ण रूप से भुगतान किए गए 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	50,00,00,000	50,00,00,000

अवधि के प्रारंभ तथा समाप्ति पर शेयरों की संख्या का मिलान :

अवधि के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	5,00,00,000	5,00,00,000
जोड़ : अवधि के दौरान जारी शेयर	-	-
कम : वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-
अवधि की समाप्ति पर शेयरों की संख्या	5,00,00,000	5,00,00,000



5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयर धारक :

नाम	शेयरों का प्रतिशत	31.03.2017 की तारीख के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.2016 की तारीख के अनुसार धारित शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	100.00	5,00,00,000	5,00,00,000
		5,00,00,000	5,00,00,000

3. आरक्षित एवं अधिशेष अथवा सरप्लस

विवरण	01.04.2016 को तारीख के अनुसार प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान जमा	अवधि के दौरान विनियोजन⁄ समायोजन	31.03.2017 की तारीख के अनुसार शेष
लाभ व हानि का विवरण	10,81,28,484	2,10,52,092	_	12,91,80,577

4. अन्य मौजूदा देनदारियां

विवरण	31.03.2017 की तारीख के	31.03.2016 की तारीख के
	अनुसार	अनुसार
भुगतान योग्य सांविधिक देय अथवा	77,285	1,72,525
देनदारी		
अन्य देनदारियां	25,21,174	26,28,075
पुराने चेक की देनदारियां	-	-
प्रतिभूति जमा	1,00,000	1,00,000
	26,98,459	29,00,600

5. अल्पवधि प्रावधान

विवरण	31.03.2017 की तारीख के	31.03.2016 की तारीख के
	अनुसार	अनुसार
व्यय के लिए प्रावधान	6,65,336	7,60,177
लाइसेंस फीस में भाकृअनुप के लिए	12,31,024	17,56,024
प्रावधान		
	18,96,360	25,16,201

क्र.स.	विवरण	उपयोगी अवधि		सकल छ	ब्लॉक			अवमूल्यन	यन		निवत	निवल ब्लॉक
			01.04.2016 को तारीख के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान विलोपन	आंतिम मूल्य	प्रारंभ में मूल्य	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान विलोपन	अंतिम मूल्य	31 मार्च, 2016 की तारीख के अनुसार डब्ल्यूडीवी	31 मार्च, 2017 की तारीख के अनुसार डब्ल्यूडीवी
	क) गोचर अथवा वास्तविक परिसम्पत्तियां											
1	कम्प्यूटर एवं एक्सेसरीज	n	9,23,169	27,680	I	9,50,849	7,13,976	1,27,315	I	8,41,291	2,09,193	1,09,558
7	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10	44,19,504	1	I	44,19,504	15,16,968	7,52,134	I	22,69,102	29,02,536	21,50,402
ε	कार्यालय उपकरण	5	27,97,618	1,10,201	1	29,07,819	15,34,806	6,07,179	I	21,41,985	12,62,812	7,65,834
4	बिजली स्थापन एवं उपकरण	10	13,97,560	1	I	13,97,560	4,58,747	2,43,026	I	7,01,773	9,38,813	6,95,787
5	भवन	30	17,14,880	I	1	17,14,880	2,16,309	1,42,415	I	3,58,724	14,98,571	13,56,156
	कुल (क)		1,12,52,731	1,37,881	I	1,13,90,612	44,40,806	18,72,069	I	63,12,875	68,11,925	50,77,737
	ख) अगोचर या अवास्तविक परिसम्पत्तियां											
9	सॉफ्टवेयर	3	1,11,438	54,400	I	1,65,838	1,11,438	14,109	1	1,25,547	I	40,291
	कुल		1,11,438	54,400	1	1,65,838	1,11,438	14,109	I	1,25,547	1	40,291
	समग्र योग (क + ख)		1,13,64,169	1,92,281	I	1,15,56,450	45,52,244	18,86,178	I	64,38,422	68,11,925	51,18,028
	पूर्ववर्ती वर्ष		1,11,78,065	1,86,104	I	1,13,64,169	17,52,125	28,00,119	•	45,52,244	94,25,941	68,11,925

35

नोट 6 : दिनांक 31.03.2017 की तारीख को नियत परिसम्पत्तियां

वार्षिक रिपोर्ट 2016–17



* वर्ष 2014–15 के दौरान, कम्पनी द्वारा लीजहोल्ड परिसर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से लीज अथवा पट्टे पर लिए गए) के निर्माण एवं नवीनीकरण पर 17,14,880/- रूपये खर्च किए गए जिसे भवन के तहत पूंचीकृत किया गया।



7. प्राप्य सौदे

विवरण	31.03.2017 की तारीख के	31.03.2016 की तारीख के
	अनुसार	अनुसार
सुरक्षित, सुविचारित लाभ :		
असुरक्षित, सुविचारित लाभ :	7,85,400	7,85,400
छ: माह से अधिक	-	-
अन्य	7,85,400	7,85,400

8. रोकड अथवा नकद व बैंक बैलेंस

विवरण	31.03.2017 की तारीख के	31.03.2016 की तारीख के
	अनुसार	अनुसार
रोकड़ अथवा नकद व समतुल्य		
बैंक के पास शेष	95,29,372	1,40,77,351
हाथ में चेक	-	833
अन्य बैंक बैलेंस		
सावधि जमा (अल्पावधि)	58,00,00,000	55,00,00,000
	58,95,29,372	56,40,78,184

9. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

विवरण	31.03.2017 की तारीख के अनुसार	31.03.2016 की तारीख के अनुसार
	v	
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	3,42,01,635	3,78,33,404
उपार्जित ब्याज को जोड़ना	36,583	4,57,668
पेशगी किराया एवं सम्बद्ध प्रभार तथा अन्य प्रभार	43,996	26,713
भुगतान किया गया अग्रिम कर (नेट प्रोविजन)	19,51,255	24,74,942
वापिस योग्य आयकर (आकलन वर्ष 2016–17)	12,41,653	-
	3,74,75,122	4,07,92,727

लेखा अथवा वित्तीय विवरण के नोट्स

10. प्रचालनों से राजस्व

		31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लाइसेंस फीस	7,50,000	13,00,000
प्रशिक्षण कार्यक्रम से आय	5,94,222	1,54,10,043
	13,44,222	1,67,10,043



11. अन्य आय


विवरण	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
नियत अथवा सावधि जमा पर ब्याज	4,42,26,079	4,85,01,950
स्वीप खाते पर ब्याज		16,84,066
	13,27,482	
परामर्श सेवा से आय	-	13,264
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	3,000	400
বিবিধ	936	50
केडिट बैलेंस W/off	1,211	-
		5,01,99,730
	4,55,58,708	

12. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतनः		
-स्थायी कर्मचारियों को	28,13,053	25,49,406
–अनुबंधित कर्मचारियों को	13,20,000	25,36,093
–एजेन्सी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को	30,51,749	21,80,715
स्टाफ का प्रशिक्षण	1,08,663	3,600
गतिशील खर्चों की प्रतिपूर्ति	85,402	30,000
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	15,358	-
	73,94,225	72,99,814

13. अन्य व्यय

विवरण	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अन्य प्रत्यक्ष व्यय :		
लाइसेंस फीस की लागत	5,25,000	9,10,000
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यय	66,630	1,35,79,684
	5,91,630	1,44,89,684
अन्य अप्रत्यक्ष व्ययः		
प्रशासनिक व्यय	1,46,534	1,25,651





	54,19,678	1,98,90,402
प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभगिता व्यय	83,000	-
वाहन व्यय	8,60,304	8,16,190
विविध व्यय	1,56,683	3,16,663
विद्युत प्रभार	5,15,612	5,13,725
प्रोफेशनल फीस (पूर्व अवधाि रूपये 12,630/-)	3,80,175	7,09,912
सचिवालीय ऑडिट फीस	49,100	84,668
सांविधिक ऑडिट फीस	48,300	42,400
आन्तरिक ऑडिट फीस	46,000	51,750
अंशदान फीस	33,468	22,579
फिक्की को भुगतान किया गया सेमिनार प्रभार	-	40,000
विज्ञापन	-	1,06,787
विनिमय दर में उतार चढ़ाव	96,049	
यात्रा बिल	3,32,414	3,42,030
टेलिफोन बिल – कार्यालय	41,451	92,547
किराया एवं सम्बद्ध प्रभार	1,74,804	1,74,804
मरम्मत व रखरखाव (कम्प्यूटर व प्रिन्टर्स)	18,375	_
रख-रखाव व्यय (कार्यालय)(पूर्व अवधि रूपये 639/-)	8,85,248	7,77,512
कॉमन सेवा प्रभार	6,24,131	8,65,581
प्रिन्टिंग व स्टेशनरी	3,36,400	3,17,919

14. वित्त व्यय

विवरण	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टीडीएस पर ब्याज	565	497
सेवा कर पर ब्याज	3,204	60,742
बैंक प्रभार	1,960	365
	5,729	61,604

15. दिनांक 31 मार्च, 2017 की तारीख के अनुसार आस्थगित कर का अभिकलन

(राशि रूपये में)

	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1. प्रारंभिक व्ययों के हिसाब से	-	-





2. अग्रेनीत हानि के हिसाब से	-	13,89,066
3. डब्ल्यूडीवी के हिसाब से		
कम्पनी अधिनियम के अनुसार	51,18,028	68,11,925
आयकर के अनुसार	77,41,729	87,42,473
कम्पनी अधिनियम की तुलना में आयकर की अधिकता	(26,23,701)	(19,30,548)
कुल	26,23,701	33,19,614
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां @ 33.063%	8,67,474	10,77,049
लाभ एवं हानि के विवरण में अभिज्ञात	2,09,575	(2,08,509)

16. विदेशी मुद्रा में अर्जन एवं व्यय (आउटगो)

विवरण विदेशी विनिमय में अर्जन :-		31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आय	रूपये 75,509/-	रूपये 1,54,10,043/-
विदेशी व्यय :-	रूपये 1,66,041/-	-
प्रशिक्षण कार्यक्रमों में होने वाला व्यय *		

*पिछले वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय के लिए प्रावधान किया गया था और इसका भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया गया है

17. संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

संबंधित पार्टी के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जिसका खुलासा आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस-18) के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है।

18. कम्पनी ने चालू वित्त वर्ष में लागू आवश्यकताओं के अनुसार जहां जरूरी था वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत या पुनर्समूहित किया है।

19. प्रति शेयर लाभ

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक–20, 'प्रति शेयर लाभ' के अनुसरण में प्रति शेयर लाभ की गणना इस प्रकार की गई है :

विवरण	राशि (रूपये) वित्त वर्ष 2016-17	राशि (रूपये) वित्त वर्ष 2015-16
प्रति शेयर मूल लाभ अथवा अर्जन		
इक्विटी शेयरधारक को शुद्ध लाभ	2,10,52,092	2,46,70,104
इक्विटी शेयरों की भारिता औसत संख्या	5000000	5000000
प्रति शेयर मूल लाभ अथवा अर्जन	0.42	0.49



प्रति शेयर डाइल्यूटिड लाभ		
इक्विटी शेयरधारक को शुद्ध लाभ	2,10,52,092	2,46,70,104
इक्विटी शेयरों की भारिता औसत संख्या	5000000	5000000
(क्षमताशील इक्विटी शेयर सहित)		
प्रति शेयर डाइल्यूटिड अर्जन	0.42	0.49

20. निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBNs) पर खुलासा

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी के पास जैसा कि एमसीए अधािसूचना जीएसआर 308 (ई) दिनांक 31 मार्च, 2017 में परिभाषित किया गया है, निर्दिष्ट बैंक नोट अथवा अन्य मूल्य के नोट थे जिसका विवरण दिनांक 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान लेन देन और निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBN) में विवरण था। अधिसूचना के अनुसार मूल्य वार एसबीएन तथा अन्य नोट्स का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	SBNs*	अन्य मूल्य वाले नोट	कुल
दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को मौजूद क्लोजिंग	2,000	55	2,055
नकद			
(+)बैंक खातों से निकासी *	-	11,064	11,064
(-) अनुमति योग्य भुगतान	-	6,119	6,119
(-) बैंकों में जमा राशि *	2,000	-	2,000
दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को मौजूद	-	5,000	5,000
क्लोजिंग नकद			

* जमा और निकासी को रूपये 2000 की राशि के विनियम मोड के माध्यम से किया गया

आकलन वर्ष 2017-18

MAT प्रयोज्यता :- कम्पनी पर लागू नहीं धाारा 115 जेबी के तहत बुक लाभ की गणना

लाभ नुकसान लेखा के अनुसार शुद्ध लाभ	3,21,97,120.00
जमा :-	
1 टीडीएस पर ब्याज	565.00
(-) बैंकों में जमा राशि *	3,21,97,685.00
धाारा 115 जेबी के तहत बुक लाभ	
	3,21,97,685.00

बुक लाभ का 20.38885 % 65,64,737.70

आयकर अधिानियम के अनुसार लाभ 3,62,16,779.23

आयकर अधिानियम के अनुसार आयकर 1,17,50,534.02

आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर बुक लाभ के 20.38885 % से अधिक है, इसलिए कम्पनी पर MAT लागू नहीं होता



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़** ('दि कम्पनी') के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण अथवा लेखा परीक्षा की है जिसमें कि 31 मार्च, 2017 तक की संलग्न बैलेंस शीट, वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य स्पष्टीकारक सूचना का सारांश सम्मिलित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए तथा वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की उत्तरदायिता

कम्पनी अधिनियम 2013 ('दि एक्ट') की धारा 134 (5) के संबंध में वर्णित मामलों के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में कम्पनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है जो कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के तदनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही स्थिति दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के साथ तारतम्य में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा अन्य विसंगति से बचने एवं उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रख-रखाव; समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; न्यायोचित एवं सटीक निर्णय तथा अनुमान लगाना; पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का क्रियान्वयन एवं रख-रखाव; करना शामिल है जिनका प्रचालन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में लेखा रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था, जो कि कम्पनी की सही एवं वास्तविक स्थिति को उजागर करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण तत्वों का गलत अनुमान लगाने की संभावना से रहित है।

कम्पनी का प्रबंधन, इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की ऑडिट के मार्गदर्शन नोट में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों पर आन्तरिक नियंत्रण के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना करने और उसे बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं : विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करने सहित कम्पनी के व्यवसाय को उचित एवं प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ऑपरेशन, पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख-रखाव जो कि कम्पनी की नीतियों का पालन करने, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता तथा जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी है।

लेखा परीक्षक की उत्तरदायिता

हमारी उत्तरदायिता, हमारे द्वारा किए अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना और हमारे द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना है।



हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा तथा लेखा परीक्षा मानकों एवं मामलों जिन्हें अधिनियम तथा इसके तहत निरूपित नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना जरूरी होता है, के अनुसार प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा पर मानकों के तदनुसार लेखा परीक्षा को आयोजित तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट तैयार किया है। इन मानकों की आवश्यकता है कि हम नीतिशास्त्र आवश्यकताओं के साथ ऐसा उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा व योजना तैयार करें जो इस बारे में हो कि क्या वित्तीय विवरण की सामग्री मिथ्या कथन से रहित हैं और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाये रखा गया था और साथ ही क्या सभी सामग्री के संबंध में ऐसा नियंत्रण प्रभावी ढंग से लागू किया गया था।

किसी लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया के तहत वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण और राशि के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करने में निष्पादन कार्यविधि शामिल होती है। चुनी गई कार्यविधि लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री अथवा सूचना के मिथ्या कथन के जोखिम का आकलन करना शामिल होता है कि क्या ऐसा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हैं। ऐसे जोखिम आकलनों में, लेखा परीक्षक, कम्पनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके सही प्रस्तुतीकरण के लिए कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखा परीक्षा कार्यविधि बनाई जा सके जो कि परिस्थितियों के अनुकूल हो लेकिन यह ऐसी किसी राय को प्रकट करने के लिए नहीं होती कि क्या कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रण को प्रभावी तरीके से चलाने की तुलना में एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की प्रासंगिकता और कम्पनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की सुस्रंगता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा हासिल लेखा-परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय अथवा तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसकी डिजाइन सामान्य तौर पर स्वीकार्य एकाउन्टिंग सिद्धान्तों के तदनुसार बाह्य प्रस्ताव हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त भरोसा प्रदान करने हेतु तैयार की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां एवं कार्यविधियां शामिल होती हैं यथा :

- (1) ऐसे रिकॉर्ड के रख-रखाव से संबंधित है जिसमें कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लेन-देन तथा प्रकृति का उपयुक्त विवरण, सटीकता एवं उचित स्थिति दर्शाई जाती है;
- (2) सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के तदनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करते समय जैसा जरूरी है, उसी प्रकार लेन-देन को दर्ज किया गया है और कम्पनी की प्राप्तियों एवं खर्चों को कम्पनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है, के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना; एवं
- (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों जिनका कि वित्तीय विवरण पर एक तात्विक प्रभाव पड़ सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा प्रकृति की रोकथाम अथवा समय से पता लगाने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना



वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का स्वाभाविक अनुकरण

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण नियंत्रण की अनदेखी करने से टकराव अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावनाओं के साथ त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण होने वाला तात्विक गलत विवरण हो सकता है और उसे खोजा नहीं जा सकता। इसके साथ ही, भावी अवधि की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान करने में भी जोखिम बना रहता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है क्योंकि इसका कारण परिस्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों अथवा कार्यविधियों के साथ अनुपालन की डिग्री का बिगडना हो सकता है।

राय अथवा मत

हमारी राय में तथा हमारी ज्ञात जानकारी में और हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम के अनुरूप अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और साथ ही 31 मार्च, 2017 की तारीख तथा इसी तारीख पर समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके लाभ और नकदी प्रवाह के संबंध में कम्पनी के मामलों में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों की पुष्टि में सत्य और सही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी एवं समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') के अनुसार, हम अनुबंध – ए विवरण में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में निर्दिष्ट विषयों पर लागू सीमा तक अपनी टिप्पणी देते हैं।
- 2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) हमने वे सभी सूचनाएं व विवरण प्राप्त किए जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे;
 - ख) हमारी राय में कानून के अनुसार आवश्यक लेखा के उचित खाते कम्पनी द्वारा रखे गए, जैसा कि इन खातों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है;
 - ग) इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ व हानि तथा नकदी प्रवाह का लेखा-जोखा अथवा विवरण लेखा बही के अनुरूप है।
 - घ) हमारी राय में, वित्तीय विवरणों को तैयार करते हुए कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।
 - ड) दिनांक 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के सभी निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को कम्पनी का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के संबंध में किसी निदेशक की नियुक्ति किए जाने हेतु अयोग्य नहीं है ।
 - च) व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार और स्वामित्व की संगठनात्मक संरचना पर विचार करते हुए हमारे मत में सभी सामग्री के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण कम्पनी में दिनांक 31 मार्च, 2017 की तारीख पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा था। इसका आधार इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर



आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों को विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड था।

- छ) कम्पनी (ऑडिट एवं आडीटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :
 - कम्पनी में किसी प्रकार की मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो;
 - ऐसा कोई भी व्युत्पन्न अनुबंध जिससे कोई तात्विक दृष्टव्य नुकसान हो, सहित कम्पनी का कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं है;
 - ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड को स्थानांतरित करने की जरूरत हो
 - 4. कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में स्वामित्व के साथ साथ 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधाि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोट्स में वांछित खुलासा किया गया है और ये कम्पनी द्वारा रखरखाव की गई लेखा बही अथवा पुस्तकों के अनुसरण में हैं। वित्तीय विवरण के नोट 20 का संदर्भ लें।
- 4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार मामलों पर यह रिपोर्ट अनुबंध - बी के रूप में संलग्न है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एफ.आर. सं. 008726 एन

> ह0∕-(अंकित गर्ग) पार्टनर सदस्यता संख्या : 515099

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 08.08.2017



सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध 'ए'

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा पर **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़** के संदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के समसंख्यक दिनांक के पत्र के संदर्भ में अनुबंध 'ए' प्रस्तुत है। हमारी रिपोर्ट है कि :

- i) क) कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड का रख-रखाव किया गया है;
 - ख) नियत परिसम्पत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधान द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई।
 - ग) कम्पनी के पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है।
- ii) हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई इन्वेंटरी तैयार नहीं की गई, इसलिए पैराग्राफ 3 (ii) के तहत रिपोर्ट किया जाना लागू नहीं है।
- iii) हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्मो अथवा अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार का सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण मंजूर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (a) ए 3(iii) (इ) 3(iii)(ब) कम्पनी पर लागू नहीं होता।
- iv) रिपोर्टाधाीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा धारा 185 एवं 186 के तहत शामिल किसी प्रकार का ऋण, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी गई इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(iv) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाना लागू नहीं होता।
- v) कम्पनी ने रिपोर्टाधाीन वर्ष के दौरान कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3(अ)के तहत रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।
- vi) हमारी राय में तथा कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) (क) के तहत कम्पनीज (लागत रिकॉर्ड एवं ऑडिट) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा लागत रिकॉर्ड का रख-रखाव करने की जरूरत निर्धारित नहीं की गई है।
- vii) क) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और साथ ही कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने आयकर, सेवा कर, तथा समुचित एथारिटीज के अन्य सांविधिक देय सहित सभी अविवादित सांविधिक देय को नियमित रूप से जमा कराया है। कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, देय तिथि की तारीख से छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च, 2017 के दिन तक कम्पनी के ऊपर आयकर, सेवा कर एवं किसी प्रकार का बकाया अन्य सांविधिक देय बकाया नहीं है।
 - ख) आयकर, सेवा कर तथा अन्य सांविधिक देय, जैसा लागू है, के मामले में कोई विवादित राशि का भुगतान करना बकाया नहीं है।
- viii) कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार तथा साथ ही कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक या ऋणदाता की कर्जदार नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (viii) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

45



- ix) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा प्रारंभिक/पुन: सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपायों सहित) अथवा आवधिक ऋण के माध्यम से किसी प्रकार की निधि एकत्रित नहीं की गई। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(ix) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।
- x) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कम्पनी की ओर से अथवा कम्पनी के साथ किसी प्रकार की धोखाधाड़ी नहीं पाई गई। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(x) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।
- xi) सरकारी कम्पनियों को कुछ निश्चित छूट देते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रलयों की अधािसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिानियिम, 2013 की धाारा 197 लागू नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(xi) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।
- xii) कम्पनी कोई निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।
- xii) संबंधित पक्षों के साथ सभी प्रकार का लेन-देन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 व 188 के अनुपालन में किया जाता है और इसका विवरण लागू लेखा मानकों में आवश्यक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया गया है।
- xiii) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा शेयरों का किसी प्रकार का निजी प्लेसमेंट अथवा पसंदीदा आवंटन नहीं किया गया।
- xiv) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने साथ जुड़े निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर नकदी लेन देन नहीं किया।
- xv) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एफ.आर. सं. 008726 एन

> -- ह0/-(अंकित गर्ग) पार्टनर सदस्यता संख्या : 515099

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 08.08.2017



31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध - बी


(समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक जरूरतों के खण्ड पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

1.	क्या कम्पनी द्वारा फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए क्रमश:	
	टाइटल/लीज डीड को क्लीयर कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का वह क्षेत्र बताएं जिसक	3
	लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	
2.	क्या ऋण/ब्याज आदि को छूट देने अथवा बट्टे खाते डालना का कोई मामला है ? यदि हां, तो इसका कारण और इसमें शामिल राशि के बारे में बताएं।	
	•	
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार/अनुदान के रूप	कम्पनी में इस प्रकार की कोई
	में प्राप्त परिसम्पत्ति एवं तीसरे पक्ष के पास प्रविष्टियों के संबंध	प्रविष्टि नहीं है और सरकार
	में उचित रिकॉर्ड रखा गया है ?	अथवा अन्य प्राधिकरणों से कोई
		परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई अत:
		यह लागू नहीं होता।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में तथा हमें ज्ञात जानकारी और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, किसी प्रकार की कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है और इसका कम्पनी के लेखा तथा वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एफ.आर. सं. 008726 एन

ह0/-(अंकित गर्ग) पार्टनर सदस्यता संख्या : 515099 स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 08.08.2017





अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के लेखों की लेखा-परीक्षा (ऑडिट) की है । साथ ही यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एफ.आर. सं. 008726 एन

ह0/-

(अंकित गर्ग) पार्टनर सदस्यता संख्या : 515099 स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 08.08.2017 वार्षिक रिपोर्ट 2016–17



सेवा में,

व्यावसायिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड –III 8वां एवं 9वां तल, एनेक्सी भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110 012

विषय : एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत रिपोर्ट

महोदय,

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हुई अवधि के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत है :

1.	क्या कम्पनी द्वारा फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए क्रमश: टाइटल/लीज डीड को क्लीयर कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का वह क्षेत्र बताएं जिसके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	अनुसार कोई फ्रीहोल्ड तथा
2.	क्या ऋण/ब्याज आदि को छूट देने अथवा बट्टे खाते डालना का कोई मामला है ? यदि हां, तो इसका कारण और इसमें शामिल राशि के बारे में बताएं।	
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसम्पत्ति एवं तीसरे पक्ष के पास प्रविष्टियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड रखा गया है ?	

49

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एफ.आर. सं. 008726 एन

> ह0∕-(अंकित गर्ग) पार्टनर सदस्यता संख्या : 515099

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 08.08.2017

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड



प्रपत्र सं.: एमआर-3 सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

सेवा में,

निदेशक एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012

मैंने, लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (यहां कम्पनी कहा जाए) द्वारा अपनाई गईं बेहतर कॉरपोरेट रीतियों के अनुपालन में सांविधिक लेखा परीक्षा का आयोजन किया। सांविधिक लेखा परीक्षा का आयोजन इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉरपोरेट आयोजनों/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित आधार मिला।

मूल्यांकन के दौरान मैंने कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही, पेपरों, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत रिटर्न और कम्पनी द्वारा रख-रखाव किए गए रिकॉर्ड का सत्यापन किया। इसके अलावा मैंने सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके कम्पनी सचिव, इसके अधिकारी एजेन्टों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का भी सत्यापन किया। दिनांक 31 मार्च, 2017 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा की अवधाि के दौरान एतद्दवारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मेरा मत है कि कम्पनी द्वारा नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का सामान्यतया अनुपालन किया गया है तथा साथ ही कम्पनी में एक उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन क्रियाविधि का अनुपालन किया जाता है जिसके बारे में नीचे बताया गया है :

मैंने, दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रों, प्रस्तुत रिटर्न तथा रख–रखाव किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की।

- 1. कम्पनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) तथा इसके तहत निरूपित नियमावली;
- 2. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इस पर निरूपित नियमावली;

(लागू नहीं)

- 3. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इस पर निरूपित विनियमन एवं बायलॉज (लागू नहीं)
- विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य व्यावसायिक ऋण (External Commercial Borrowings) की सीमा तक निरूपित नियमावली एवं विनियम;
 (लागू नहीं)
- 5. कम्पनी द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार कम्पनी पर लागू अन्य कानून



इसके अलावा, मैंने निम्नलिखित के स्वीकार्य उप-नियमों का अनुपालन करते हुए भी जांच की।

- (i) दि इंस्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सांविधिक मानदण्ड्
- (ii) कम्पनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। इसलिए, इस कम्पनी पर सूचीबद्ध समझौते के उप-नियम अथवा खंड लागू नहीं होते ।

मेरी यह रिपोर्ट है कि :

समीक्षा के तहत रिपोर्टाधाीन अवधाि और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण व प्रतिवेदनों तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा सामान्यतया निम्नलिखित आकलनों के अनुसरण में उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियमावली, विनियमन तथा दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया गया।

कम्पनी नियमावली, 2014 की धारा 149 एवं नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसरण में अभी तक कम्पनी द्वारा किसी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया गया।

इसके अलावा मेरी यह रिपोर्ट भी है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे स्वीकार्य वित्तीय कानूनों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाली रिपोर्ट की समीक्षा इस लेखा परीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि इसे सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा की जाने वाली समीक्षा के आधार पर किया जाना था।

पुन: मेरा यह कहना है कि कम्पनी को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए इस लेखा परीक्षा में प्रतिभूति कानूनों की समीक्षा नहीं की गई है।

मेरा पुनः यह आकलन है कि :

- कम्पनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, हालांकि, इस रिपोर्ट की तारीख तक कम्पनी ने कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया है।
- समीक्षा के तहत रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में किया गया बदलाव अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया गया।
- बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी, कार्यसूची के संबंध में सभी निदेशकों को समुचित सूचना दी गई तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी बैठक से कम से कम सात दिन पहले सभी निदेशकों को भेजा गया। साथ ही बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाली कार्यसूची मदों पर पुन: जानकारी तथा स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए एक प्रणाली पहले से विद्यमान है।
- बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों द्वारा किसी भी कार्यसूची मद पर अपनी असहमति नहीं दर्शाई गई है।
- कम्पनी द्वारा स्थापित अनुपालन क्रियाविधि के आधार पर, हमारा यह मत है कि कम्पनी प्रबंधन में शामिल है :



 स्वीकार्य कानूनों, नियमावली, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने में कम्पनी के आकार एवं प्रचालनों के साथ अनुरूपण में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 17.07.2017

अरूणेश दुबे एंड कम्पनी की ओर से (कम्पनी सचिव)

ह0∕-

(अरूणेश कुमार दुबे) सदस्य संख्या एफ 7721 सीओपी सं.: 14054



अनुबंध-ए

सेवा में,

सदस्यगण **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़** जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012

इस पत्र के साथ समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट को भी पढ़ा जाए :


- सांविधिक रिकॉर्ड का प्रबंधन करना कम्पनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर इन सांविधिक रिकॉर्ड पर अपने विचार प्रकट करना हमारा दायित्व बनता है।
- 2. हमने, सांविधिक रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की सटीकता के बारे में न्यायोचित विश्वास हासिल करने के लिए जरूरी रीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया। जांच के आधार पर प्रमाणन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांविधिक रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं रीतियों के परिणामस्वरूप हमारे विचार को एक न्यायोचित आधार मिलता है।
- हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तक (Books of Accounts) की सटीकता एवं उपयुक्तता का प्रमाणन नहीं किया है।
- जहां जरूरी था, वहां हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटित घटनाओं के बारे में प्रबंधकों से प्रतिवेदन हासिल किया।
- कॉरपोरेट एवं अन्य स्वीकार्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, जांच के आधार पर कार्यविधि का प्रमाणन करने तक सीमित थी।
- सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही दक्षता अथवा प्रभावशीलता के प्रति कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कम्पनी के मामलों को देखा गया है।

53

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 17.07.2017

अरूणेश दुबे एंड कम्पनी की ओर से (कम्पनी सचिव)

> **ह0/** (अरूणेश कुमार दुबे)-सदस्य संख्या एफ 7721 सीओपी सं.: 14054





दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के तदनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के प्रति उत्तरदायी होते है। दिनांक **08 अगस्त, 2017** की इनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होने यह कार्य कर दिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** की 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 25.09.2017

ह0∕-(एल. सिद्धार्थ सिंह) प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV